पाने का हकदार होगा, जिस कक्षा में उसे प्रोन्नत किया गया है ।

8. भुगतान :

1. अनुरक्षण प्रभार एक अप्रैल अथवा नामांकन के महीने, जो भी बाद में हो, से शैक्षणिक वर्ष के अंत में उस महीने तक जिसमें परीक्षाएं पूरी होती हैं (छुट्टियों के दौरान अनुरक्षण सहित), तक देय होंगे बशर्ते कि यदि विद्यार्थी किसी महीने के 20 तारीख के बाद नामांकन कराता है तो राशि नामांकन के महीने के बाद आने वाले महीने से दी जाएगी ।

2. गत वर्ष दी गई छात्रवृत्तियों के नवीकरण के मामले में, अनुरक्षण प्रभार उस महीने के अगले महीने से दिया जाएगा, जिस महीने तक गत वर्ष भुगतान किया गया था, यदि पाठ्यक्रम जारी रहता है (अर्थात इण्टरमिडिएट जुनियर से इण्टरमिडिएट सीनियर क्लास)

3. सभी विद्यार्थियों से संस्वीकृत अनुरक्षण भत्ते से आवश्यक पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि खरीदने की अपेक्षा की जाती है । यदि संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कोई विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक, लेखन सामग्री के बगैर है तो छात्रवृत्ति संस्वीकृत करने वाला प्राधिकारी अपने विवेक से छात्रवृत्ति की राशि में कमी कर सकता है ।

4. चुने गए विद्यार्थियों को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जिससे विद्यार्थी संबंधित हैं, इस संबंध में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जाएगा ।

5. यदि विद्यार्थी इनटर्नशिप अवधि के दौरान कुछ पारिश्रमिक अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता/वजीफा पा रहे हैं तो एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में इनटर्नशिप/हॉउस मैनशिप की अवधि के लिए अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

9. छात्रवृत्ति के लिए अन्य शर्तें

1. छात्रवृत्ति विद्यार्थी की संतोषजनक प्रगति और आचरण पर निर्भर है । यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई विद्यार्थी स्वयं अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोषप्रद प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुर्व्यवहार जैसे हड़ताल करने या उसमें भाग लेने, संबंधित प्राधिकारियों की अनुमति बगैर

.....जारी